

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर  
पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप विभाग

पोमेछा/2013-14/1497

आदेश


दिनांक 06/03/2014

10 MAR 2014

संस्थान के आदेश क्रमांक पोमेछा/2013-14/2850 दिनांक 07/12/2013 द्वारा पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों से अंतर की राशि जमा करने हेतु निर्देश दिये गये है, जिन्हे पुनः स्ववित्तीय पाठकम हेतु श्रीमान सहायक संचालक, कार्यालय कलेक्टर (पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण), जिला इन्दौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक पोमेछा/2013-14/814 दिनांक 22/11/2013 में दिनांक 20/01/2014 द्वारा स्पष्ट किया कि निम्नानुसार संस्थान को शुल्क प्रतिपूर्ति की जावेगी एवं शेष अंतर की राशि संबंधित विद्यार्थियों से अतिरिक्त जमा कराई जावेगी :-

क्र	ब्राच/कक्षा	संस्थान के पूर्व आदेश में जारी माफ की जाने वाली शिक्षण शुल्क की राशि	प्रतिपूर्ति हेतु पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण इन्दौर द्वारा स्ववित्त पाठकम के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली शिक्षण शुल्क	प्रत्येक विद्यार्थी से वसूल/ जमा की जाने वाली अतिरिक्त शिक्षण शुल्क अंतर राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	बी. ई आई.टी/बायोमेडिकल (वर्ष 2011 से प्रवेशित विद्यार्थी)	30,105	23,300	6,805
2	एम.सी.ए.	32,535	23,500	9,035
3	एम.बी.ए.	37,530	25,000	12,530

अतः सूचित किया जाता है कि पिछडा वर्ग के वे विद्यार्थी जिन्हाने शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क मुक्ति इत्यादि का लाभ लिया है, वे विद्यार्थी कालम न 5 में दर्शित अन्तर राशि अनिवार्य रूप से पूर्व आदेश में उल्लेखित राशि के अतिरिक्त परीक्षा के पूर्व जमा कराने का कष्ट करे।

  
निदेशक

- प्रतिलिपि :-
- 1) श्रीमान सहायक संचालक, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, जिला इन्दौर
  - 2) समस्त डीन्स/ निदेशक कार्यालय
  - 3) रजिस्ट्रार/ प्रवेश विभाग यू.जी/पी.जी
  - 4) वित्त अधिकारी
  - 5) समस्त सूचना पटल पर विद्यार्थियों को सूचनार्थ।
  - 6) संस्थान की वेबसाईट